

pan>

Title: Introduction of the Women (Empowerment and Welfare) Bill, 2018.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इक्कीस वर्ष की आयु तक लड़कियों के विवाह को लंबित करने के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं, महिलाओं के लिए यदि पति अमद्यसारिक हो, वार्षिक बोनस सहित उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाली विशेष बचत योजनाएं, सूक्ष्म ऋण योजनाओं के लिए विशेष निधि, कृषि कर्मकारों के लिए चल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश, निजी नियोजन अभिकरणों का विनियमन, विधवाओं हेतु योजनाओं का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए महिला सशक्तिकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish a Women Empowerment and Welfare Authority to provide for monthly incentive schemes for girl child to delay marriage until age of twenty one years, special saving schemes for women with higher rate of interests inclusive of annual bonus if husband is non-alcoholic, special fund for micro credit schemes, guidelines for mobile healthcare facilities for agricultural labour, regulation of private placement agencies, schemes for widows and for all matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

